भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2362

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 मार्च, 2016 को दिया गया)

<u>सीसीआई द्वारा कार निर्माताओं को नोटिस</u>

2362. श्री भगवंत खुबा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने विभिन्न कार निर्माताओं को नोटिस जारी किए हैं जो कि देश में उपभोक्ताओं को कथित रूप से कलपुर्जे उच्च कीमतों पर बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विभिन्न चूककर्ताओं के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (घ): प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों और प्रभाव के दुरुपयोग के मामलों में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को शास्ति लगाने और/या समाप्ति और प्रविरत आदेश जारी करने का अधिदेश देता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2011 के मामला संख्या 3 में दिनांक 25.08.2014 के आदेश के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 14 कार कंपनियों पर समाप्ति और प्रविरत आदेश सहित 2544.65 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग के आदेश को पक्षों द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय/प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई, उन्होंने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए जुर्माने पर रोक लगा दी है।

इसी तरह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दिनांक 27.07.2015 के 15वीं कार कंपनी, मैसर्स ह्युंडई मोटर इंडिया लिमिटेड पर लगाए गए 420.26 करोड़ रुपए की शास्ति को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया गया है।

*****